योजना का सारांश (अगस्त 2026)

1. भारत के मुक्त व्यापार समझौते : आर्थिक कूटनीति का एक नया दौर

परिचय

2026 की शुरुआत तक भारत के 13 सक्रिय मुक्त व्यापार समझौते (FTA) थे। साथ ही, निवेश संधियों एवं अधिमान्य व्यापार समझौतों (PTA) की समीक्षा भी की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान नौ प्रमुख समझौतों के माध्यम से मुक्त व्यापार समझौतों का उपयोग बढ़ाया गया।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आधारभूत साझेदारियाँ

- भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (CECPA), जिस पर फरवरी 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे, 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी हो गया।



- पहला अफ्रीकी समझौता 2016 के दोहरे कराधान बचाव समझौते (DTAA) के संशोधन के बाद हुआ, जिसने वित्तीय संबंधों को नए सिरे से पुनर्गठित किया।
- सीईसीपीए 300 से अधिक उत्पादों को पहुँच प्रदान करता है; परिधान निर्यातकों को विविधता मिलती है, जबकि धागे और कपड़े मॉरीशस को समर्थन देते हैं।
- भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए), जिस पर अप्रैल 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे, दिसंबर 2022 से प्रभावी हो गया।
- 2015 से रुकी हुई वार्ता, क्वाड अभिसरण के बीच 2021 में फिर से शुरू हुई; ECTA निर्यात और सेवाओं की गतिशीलता का समर्थन करता है।
- ECTA व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) की दिशा में एक अंतरिम समझौता बना हुआ है, जो विश्वसनीय इंडो-पैसिफिक विविधीकरण को मज़बूत करता है।

खाड़ी के प्रवेश द्वार से लेकर वैश्विक ब्रिटेन तक रणनीतिक विस्तार

- भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA), जिस पर 18 फरवरी, 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे, 1 मई, 2022 से प्रभावी हो गया।
- यूएई से 60 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार किया, जिसमें ऊर्जा, निवेश और प्रवासी भारतीयों को खाड़ी-अफ्रीका-यूरोप तक पहुँच प्रदान की गई।
- भारत-ओमान के बीच 24 दिसंबर, 2025 को हस्ताक्षरित सीईपीए, रक्षा, ऊर्जा, रसद और बाज़ार पहुँच के लिए समुद्री भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाता है।
- जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) ब्रेक्सिट के बाद के निर्यात, सेवाओं और रणनीतिक सहयोग का समर्थन करता है।
- विश्वसनीय साझेदारियों को लक्षित करते हुए, 2020 के बाद की रणनीति संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा करते हुए निर्यात, सेवाओं और आपूर्ति शृंखला को मज़बूत करती है।

EFTA पूंजी और यूरोपीय संघ के नियमों पर आधारित 'सभी समझौतों की जननी'

- व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ और 15 वर्षों में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश सुनिश्चित किया।
- दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता ने चरणबद्ध सुरक्षा उपायों और विस्तारित बाज़ार पहुँच के माध्यम से कृषि एवं डेयरी संबंधी वार्ता को पुनर्जीवित किया।
- दिसंबर 2025 के भारत-यूरोपीय संघ समझौते ने EU को चीन के बाद, लेकिन अमेरिका से आगे खड़ा किया, जिसमें वस्तुओं के व्यापार की हिस्सेदारी 11.5% रही।
- 2024 में, भारत-यूरोपीय संघ के बीच वस्तुओं का व्यापार 120 अरब यूरो से अधिक हो गया, जिसमें 71.4 अरब यूरो का आयात और 48.8 अरब यूरो का निर्यात शामिल था।
- दशकीय व्यापार दोगुना हो गया; यूरोपीय संघ के आयात में 140% और निर्यात में 58% की वृद्धि हुई, जिससे दो दशक से चल रही इंडिया/2047 वार्ता का समापन हुआ।
- फरवरी 2026 में सामने आए भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते ने कृषि, टैरिफ, डिजिटल-व्यापार और नियामक विवादों के बीच विश्वास बहाली को प्राथमिकता दी।

निष्कर्ष

व्यापक समझौते व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, सेवाओं और आपूर्ति शृंखला की मज़बूती को एकीकृत करते हैं, साथ ही घरेलू प्राथमिकताओं की रक्षा भी करते हैं। प्रभावी कार्यान्वयन, बेहतर व्यावसायिक उपयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार 2047 तक विकसित भारत के लिए आवश्यक बने रहेंगे।

2. साझेदारी से प्रगति की ओर : सहकारी संघवाद का व्यावहारिक रूप

परिचय

"राज्यों का विकास होने पर भारत का विकास होता है" के आदर्श वाक्य को प्रतिबिंबित करते हुए, संघवाद स्थानीय आवश्यकताओं को 2047 के विकसित भारत और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के अनुरूप ढालता है। केंद्र, राज्य, जिले और स्थानीय संस्थाएँ संयुक्त रूप से समावेशी सार्वजनिक सेवाओं और अवसरों को बढ़ावा देते हैं।

संघीय संस्थानों के माध्यम से सह-निर्माण

- नीति आयोग केंद्र-राज्य संवाद, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच अनुभवों के आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है, ताकि एकतरफा दिशा-निर्देशों को सहयोगात्मक समस्या-समाधान से प्रतिस्थापित किया जा सके।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित शासी परिषद (जिसमें मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल हैं) ने 2026 में अपनी 11वीं बैठक में राज्य भागीदारी की पुष्टि की।
- मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को व्यावहारिक रणनीतियों में परिवर्तित करता है, जिससे मंत्रालय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय में सुधार होता है।
- नीति आयोग ने क्षेत्रीय परामर्श का प्रदर्शन करते हुए 12 जून, 2026 को नई दिल्ली में उत्तर-पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की।

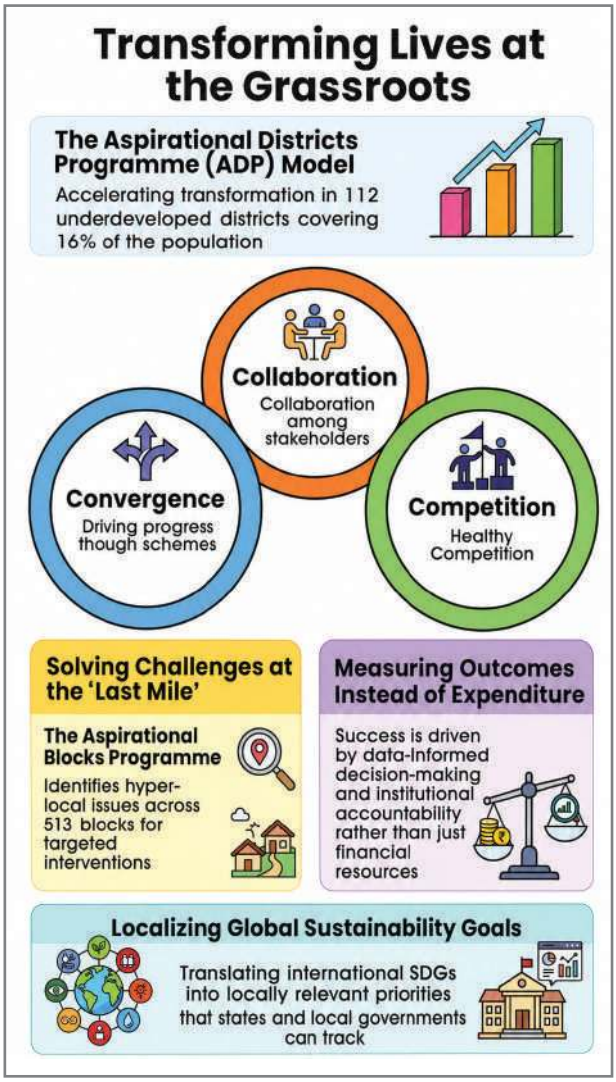

दीर्घकालिक परिवर्तन के लिए संस्थागत क्षमता

- राज्य सहायता मिशन (एसएसएम) विजन, 2047 के दस्तावेज तैयार करता है और योजना विभागों के भीतर परिवर्तन के लिए राज्य संस्थानों (एसआईटी) का निर्माण करता है।
- महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (MITRA) और त्रिपुरा इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (TIFT) बहुविषयक नीति सुधारों को आगे बढ़ाते हैं।

- गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (जीआरआईटी) नीति आयोग के मॉडल का अनुसरण करते हुए ई-कचरा और स्थानिक-कंप्यूटिंग पर शोध पत्र प्रकाशित करता है।
- राजस्थान और आंध्र प्रदेश एसआईटी के माध्यम से विजन 2047 को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं तमिलनाडु का एक्सपीरियंस सेंटर अलग-अलग सेक्टरों के बीच सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है।
- मेघालय सरकार की नवाचार प्रयोगशाला मानव विकास में सुधार करती है; इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) कलकत्ता ने त्रिपुरा की फार्मास्युटिकल नीति का समर्थन किया।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की ने उत्तराखंड की निर्णय सहायता प्रणाली विकसित की; एसएसएम साक्ष्य-आधारित संस्थागत निरंतरता को बढ़ावा देता है।

डिजिटल शासन के माध्यम से जमीनी स्तर पर परिणाम

- 2018 में शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) का लक्ष्य 28 राज्यों के 112 जिलों को शामिल करना है, जो 16% आबादी को कवर करते हैं।
- एडीपी स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल, समावेशन, कौशल और बुनियादी ढाँचे को तीन 'C' (अभिसरण (Convergence), सहयोग (Collaboration) और प्रतिस्पर्धा (Competition)" के माध्यम से ट्रैक करता है।
- आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 331 जिलों के 513 ब्लॉकों में विस्तारित है, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर की अत्यंत विशिष्ट कमियों को दूर करना और साथ ही सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को स्थानीय स्तर पर लागू करना है।
- 22 भाषाओं में 'नीति फॉर स्टेट्स' और 'AI सारथी' जानकारी तक पहुँच आसान बनाते हैं तथा 'विकसित भारत स्ट्रैटेजी रूम' (VBSR) एनालिटिक्स को एक साथ लाता है।
- क्षेत्रीय विकास रणनीति (एडीएस)/बीआईएसएजी-एन भू-स्थानिक डेटा को एकीकृत करती है; NITITARA 800 से अधिक जिलों/ब्लॉकों तक फैली हुई है, जिसे कुलगाम और कोंडागाँव में मान्य किया गया है।

निष्कर्ष

सशक्त राज्य, मज़बूत संस्थान और साझा सीख सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को मूर्त रूप देते हुए विकसित भारत@2047 को साकार कर सकते हैं।

3. स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन : भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए एक रणनीतिक उपकरण

परिचय

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) वित्तीय कठिनाई के बिना गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को सुनिश्चित करता है; स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन (HTA) समानता, सामर्थ्य और स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या प्रभावी है, किसके लिए प्रभावी है और उसकी लागत कितनी है।

साक्ष्य-आधारित प्राथमिकता निर्धारण

- एचटीए वृद्धिशील लागत-प्रभावशीलता अनुपात (ICER)/गुणवत्ता-समायोजित जीवन वर्ष (QALY) का उपयोग करके नैदानिक प्रभावशीलता, लागत-प्रभावशीलता, सुरक्षा, समानता और नैतिकता का मूल्यांकन करता है।
- सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के बाद स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (DHR) के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन भारत (HTAIn) की स्थापना की।
- मई 2024 तक HTAIn के अंतर्गत 86 अध्ययन पूरे, 57 अध्ययन जारी, 217 प्रकाशन तथा छः क्षेत्रीय हब दर्ज किए गए थे।
- जून 2026 तक यह संख्या बढ़कर 176 पूर्ण अध्ययन, 103 जारी अध्ययन, 369 प्रकाशन, आठ संसाधन हब, 22 क्षेत्रीय केंद्र, पाँच ADOPT केंद्र और 10 तकनीकी साझेदारों तक पहुँच गई।

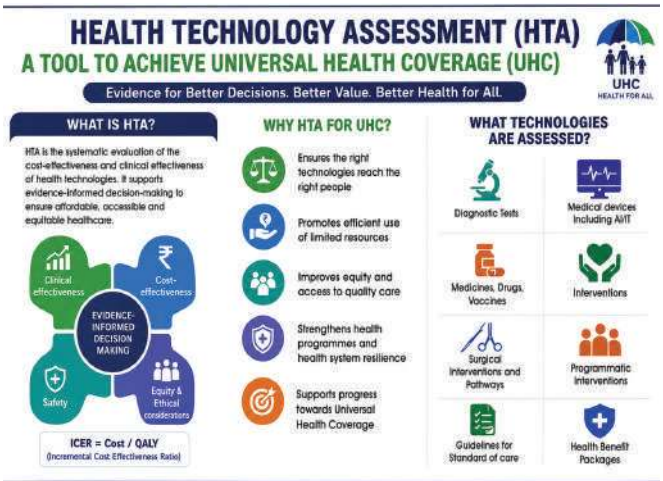

सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अनुप्रयोग

- राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन ने त्वरित प्वाइंट-ऑफ-केयर परीक्षणों का उपयोग किया, जिससे हजारों करोड़ रुपये की बचत हुई और साथ ही कमजोर आबादी की स्क्रीनिंग का विस्तार हुआ।
- एचटीए समर्थित सी-टीबी की खरीद से प्रति परीक्षण अव्यक्त तपेदिक की लागत कम हो गई, जिससे राष्ट्रीय तपेदिक कार्यक्रम में काफी बचत हुई।
- पोर्टेबल नवजात शिशु श्रवण उपकरण और ईसीजी मशीनें लागत प्रभावी साबित हुई, जिससे प्रारंभिक पहचान, हृदय संबंधी स्क्रीनिंग और कई राज्यों में इनका उपयोग बढ़ा।
- टेलीमेडिसिन-सक्षम ओटोस्कोप और कलर फंडस फोटोग्राफी ने सीमित संसाधनों वाले क्षेत्रों में डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्क्रीनिंग और विशेष देखभाल का विस्तार किया है।

❖ राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) ने एचटीए साक्ष्य का उपयोग करके नई दवा पद्धतियों, डिजिटल उपचार अनुपालन, एआई-सहायता प्राप्त एक्स-रे और आधुनिक निदान तकनीकों को अपनाया।



वित्तपोषण, नवाचार और संस्थागत क्षमता

❖ HTAIn ने सैकड़ों स्वास्थ्य लाभ पैकेजों को युक्तिसंगत बनाया; छः महीने के ट्रैस्टुजुमैब उपचार ने एक वर्ष के स्तन कैंसर के परिणामों के बराबर परिणाम दिए, जिससे काफी बचत हुई।

❖ एचटीए ने गैर-लागत-प्रभावी हस्तक्षेपों को बाहर रखा; थायमिन की खुराक ने कई पूर्वोत्तर राज्यों में शिशुओं में होने वाले बेरीबेरी रोग को रोकने में मदद की।

❖ ओडिशा की DAMaN (दुर्गामा आंचलारे मलेरिया निराकरण) परियोजना दुर्गम क्षेत्रों के लिए लागत प्रभावी साबित हुई, जिससे इसके विस्तार में सहायता मिली।

❖ एचटीए स्वदेशी निदान, उपकरणों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करके, उनके उपयोग और घरेलू विनिर्माण में तेजी लाकर आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाता है।

❖ क्षेत्रीय हब, मूल्यांकन समितियाँ और राज्य नोडल अधिकारी फेलोशिप, स्वास्थ्य-अर्थशास्त्र/एचटीए मास्टर पाठ्यक्रम और ऑनलाइन शिक्षण क्षमता का समर्थन करते हैं।

❖ साक्ष्य-आधारित प्राथमिकता निर्धारण नवाचार से समझौता किए बिना समान स्वास्थ्य पहुँच, गुणवत्तापूर्ण देखभाल, वित्तीय सुरक्षा और अधिक मज़बूत स्वास्थ्य प्रणालियों को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष

संस्थागत एचटीए 2047 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन करते हुए नवाचार को सुलभ, किफायती और न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा में परिवर्तित कर सकता है।

4. भारत की कल्याणकारी वितरण संरचना का विकास और प्रभाव

परिचय

जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) में प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), आधार एवं मोबाइल डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) को एकीकृत किया गया है। इनके एकीकरण से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) संभव हो पाता है; यूपीआई, DigiLocker और API Setu के साथ मिलकर JAM एक विस्तार योग्य सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करता है।



डिजिटल कल्याणकारी योजनाओं की वितरण की संरचना

❖ अगस्त 2014 में शुरू की गई पीएमजेडीवाई योजना के तहत 58 करोड़ से अधिक खाते खोले गए, जिनमें से अधिकांश महिलाओं के थे तथा बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट/कॉमन सर्विस सेंटर दूर-दराज के इलाकों में कैश निकालने की सुविधा देते हैं।

❖ लगभग सभी वयस्कों के पास आधार कार्ड होना एकल-पंजीकरण प्रमाणीकरण को सक्षम बनाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि दावेदार वास्तविक, जीवित और अद्वितीय हैं, साथ ही साथ दोहराव को भी रोका जा सकता है।

- 94.02% टेली-डेंसिटी और किफायती टैरिफ के साथ मोबाइल कनेक्टिविटी, ओटीपी, नोटिफिकेशन और स्मार्टफोन-आधारित चेहरे/बायोमेट्रिक सत्यापन को सक्षम बनाती है।
- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का आधार पेमेंट्स ब्रिज ऑथेंटिकेशन और डुप्लीकेशन की जाँच करता है और सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खातों में फायदे की रकम जमा करता है।

संस्थागत प्रभाव और सहायक बुनियादी ढाँचा

- कैबिनेट सचिवालय का डीबीटी मिशन 50 मंत्रालयों/विभागों में 300 से अधिक केंद्रीय योजनाओं का समन्वय करता है और 2,500 से अधिक राज्य योजनाओं को सहायता प्रदान करता है।
- 2014-2026 के दौरान, जेएएम ने 10 करोड़ से अधिक डुप्लिकेट, फर्जी और अस्तित्वहीन लाभार्थियों को हटाकर 3.5-4 लाख करोड़ की बचत की।
- खाद्य सब्सिडी सुधारों से ₹3.13 लाख करोड़ की बचत हुई तथा कवरेज 11 करोड़ बढ़कर 180 करोड़ से अधिक हो गया, जिसमें ₹40 लाख करोड़ से अधिक का डीबीटी हस्तांतरण शामिल है।
- कोविड-19 के दौरान, जेएएम ने तेजी से आपातकालीन राहत हस्तांतरित की तथा प्रत्यक्ष छात्रवृत्ति, पेंशन और वेतन ने मध्यस्थों की कटौती और कार्यालय के दौरों को कम किया।
- आधार फेशियल ऑथेंटिकेशन और बेनिफिशियरी सत्यापन एप्लीकेशन (बीएसए) फिंगरप्रिंट की विफलताओं, एकीकरण लागत और विभिन्न योजनाओं में दोहराव को कम करते हैं।
- DigiLocker और API Setu 150 से अधिक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल योजनाओं को सहमति-आधारित प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं, जिनमें 24×7×365 पहुँच उपलब्ध है।

भविष्य के सुधारों के लिए प्राथमिकताएँ

- भविष्य के सुधारों में आधार को एक एकल पहचान के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जिससे छात्रों, किसानों, रोगियों और अस्थायी श्रमिकों के लिए अलग-अलग पहचानकर्ताओं की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
- लाभार्थियों की सक्रिय पहचान से कर्नाटक के 'कुटुंबा', हरियाणा के 'परिवार पहचान पत्र' और राजस्थान के 'जन आधार' रजिस्टरों को एक साथ जोड़ा जा सकता है।
- जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्रक्रियाओं का यह समन्वय जन्म पंजीकरण, आधार कार्ड जारी करना, स्कूल में नामांकन, कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्रता और रजिस्ट्रार जनरल के मृत्यु रिकॉर्ड को आपस में जोड़ता है।
- सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी/ई-रुपये) उद्देश्य-आधारित ऋण और छात्रवृत्ति प्रदान करने में सक्षम हो सकती है, जिससे भारत शुरुआती बड़े पैमाने पर इसे अपनाने वाले देशों में शामिल हो सकता है।
- राज्य वितरण एजेंसियाँ बनी रहेंगी; सहकारी-प्रतिस्पर्धी संघवाद, व्यापार करने में आसानी और जीवन यापन में आसानी के मानदंड लाभों को समान कर सकते हैं।

निष्कर्ष

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और ग्लोबल साउथ द्वारा मान्यता प्राप्त जेएएम को कुशल और जवाबदेह कल्याण के लिए शून्य त्रुटियों, 100% इंटरलिंकेज और आधार-दस्तावेज सीडिंग को सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए।

5. स्टार्टअप और नवाचार क्रांति : भारत के आर्थिक स्वरूप में बदलाव

परिचय

16 जनवरी, 2016 को 400 से भी कम मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के साथ शुरू हुए 'स्टार्टअप इंडिया' ने 'उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग' (DPIIT) के तहत 19-सूत्रीय कार्य योजना के माध्यम से उद्यमिता को संस्थागत रूप दिया। इसमें वेंचर फंडिंग, टैक्स में छूट, पेटेंट की प्रक्रिया को तेज करना, खरीद-फरोख्त में ढील और लेबर-लॉ (श्रम कानूनों) के तहत खुद से सर्टिफिकेशन जैसी सुविधाएँ शामिल थीं।

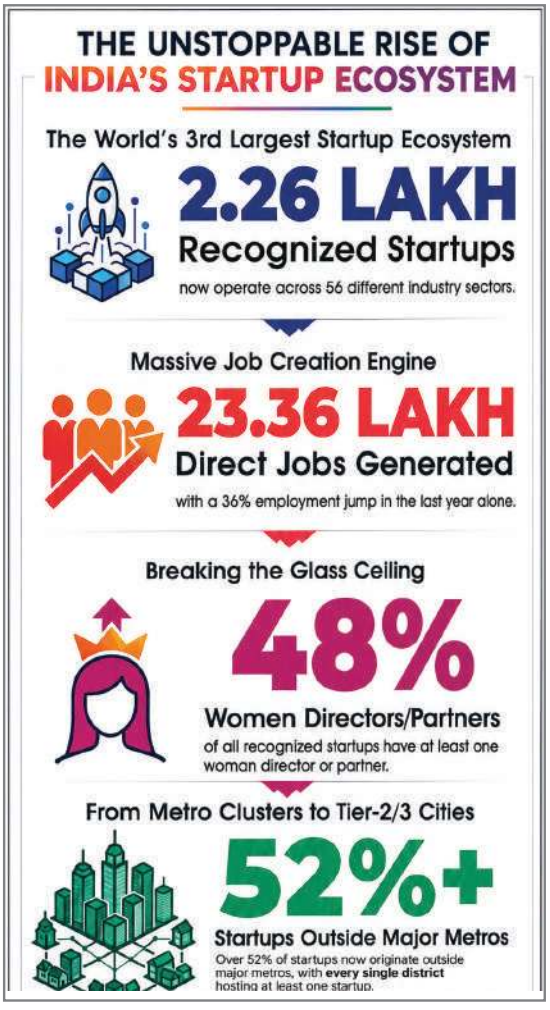

विस्तार, रोजगार और समावेशन

- भारत में 56 क्षेत्रों और 700 से अधिक जिलों में फैले 2.26 लाख डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, जो वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है।
- भारत के व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र में 6.6 लाख उद्यम और 120 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियाँ हैं, जिनका कुल मूल्य 350 अरब अमेरिकी डॉलर है; संयुक्त राज्य अमेरिका में 1.56 मिलियन स्टार्टअप हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर 150 मिलियन स्टार्टअप हैं।
- 2025-26 के दौरान, 55,200 स्टार्टअप शामिल हुए, जो 51.6% की वृद्धि दर्शाता है; 23.36 लाख नौकरियों में 36.1% की वृद्धि हुई, साथ ही 19,400 पेटेंट भी दर्ज किए गए।
- 48% स्टार्टअप में महिलाओं की भागीदारी है; तमिलनाडु के 12,000 से अधिक स्टार्टअप में से आधे महिलाओं के नेतृत्व वाले हैं, जबकि उद्यम पोर्टल पर 8.75 करोड़ स्टार्टअप में से 3.07 करोड़ स्टार्टअप महिलाओं द्वारा संचालित हैं।
- 52% से अधिक स्टार्टअप महानगरों से बाहर के क्षेत्रों में शुरू हुए हैं; जयपुर, कोयंबटूर, भुवनेश्वर, इंदौर, लखनऊ और सूरत अब टियर-2/3 इकोसिस्टम की मेजबानी करते हैं।
- प्रत्येक 700 से अधिक जिलों में एक स्टार्टअप मौजूद है तथा जम्मू और कश्मीर में स्टार्टअप का विस्तार हो रहा है, जबकि 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 32 स्टार्टअप नीतियाँ संचालित करते हैं।

वित्तीय और संस्थागत अवसंरचना

- फंड ऑफ फंड्स ने 135 से अधिक वैकल्पिक निवेश फंडों में ₹7,000 करोड़ का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई, जिन्होंने 1,420 से अधिक स्टार्टअप में ₹26,900 करोड़ का निवेश किया।
- फंड ऑफ फंड्स 2.0 में डीप-टेक, विनिर्माण और छोटे शहरों के उद्यमों को लक्षित करते हुए ₹10,000 करोड़ का निवेश जोड़ा गया है; एंजेल टैक्स 2024 में समाप्त हो गया।
- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड ने 592 करोड़ रुपये स्वीकृत किए तथा सहकारी समितियाँ 200 करोड़ रुपये तक की राशि के लिए पात्र हैं, जबकि डीप-टेक कंपनियों को 20 साल/300 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।
- 40,000 स्टार्टअप सरकारी ई-मार्केटप्लेस का उपयोग करते हैं तथा भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री (भास्कर) 7.47 लाख उपयोगकर्ताओं को पूंजी और मार्गदर्शन से जोड़ती है।
- भारत के 733 जिलों में 1,000 से अधिक इनक्यूबेटर, 1,735 नियामक-पंजीकृत एआईएफ और 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब हैं, जिनमें 1.1 करोड़ छात्र कार्यरत हैं।
- 2026 की पहली छमाही में फंडिंग 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर लेट-स्टेज, 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर ग्रोथ-स्टेज और 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर अर्ली-स्टेज तक पहुँच गई, जो जीवनचक्र परिपक्वता को दर्शाती है।

बाज़ार विस्तार और जिला स्तरीय पहुँच

- एशिया/अफ्रीका में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) को अपनाने से यह पता चलता है कि भारत में निर्मित समाधान वैश्विक स्तर पर कैसे विस्तारित हो सकते हैं।
- मुक्त व्यापार समझौते और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जीएसटी से जुड़े सिस्टम और एआई-सक्षम लॉजिस्टिक्स निर्यात गलियारे और नए बाज़ार बनाते हैं।
- ट्रांसफॉर्मिंग एंटरप्रेन्योरियल जर्नीज अक्रॉस स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट्स (TEJAS) 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 130 से अधिक जिलों तक पहुँचता है, और महिलाओं, स्नातकों, कारीगरों और किसानों को जोड़ता है।
- राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क (एसआरएफ), पाँचवां संस्करण: 32 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश नीतियाँ संचालित करते हैं; गुजरात ने लगातार पाँच वर्षों तक अग्रणी स्थान बनाए रखा, जबकि नवीनतम रैंकिंग में कर्नाटक शीर्ष पर रहा।
- कर्नाटक ने 518 करोड़ रुपये देने का वादा किया, उत्तर प्रदेश एक पायदान ऊपर पहुँचा है; राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 20 श्रेणियों और सभी भौगोलिक क्षेत्रों में संस्थापकों को मान्यता देते हैं।
- भारत में 28 वर्ष या उससे कम आयु के 37.5 करोड़ लोग विज्ञान आधारित उद्यमों के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा, जल, भोजन और स्वास्थ्य सेवा जैसी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

निष्कर्ष

2016 में शुरू हुई स्टार्टअप क्रांति तब स्थायी रूप से आगे बढ़ सकती है जब वित्त, बुनियादी ढाँचा और संस्थागत समर्थन युवा भारत को आविष्कार-आधारित विकास की ओर ले जाएँ।

6. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

परिचय

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) की शुरुआत 2011 में की गई थी और 2015 में इसका नाम बदलकर DAY-NRLM रखा गया। यह योजना स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को संगठित और सशक्त बनाती है। केवल दो वर्षों में तीन करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य प्राप्त करने के बाद, फरवरी 2026 में इस लक्ष्य को अगले तीन वर्षों में बढ़ाकर छः करोड़ लखपति दीदियों तक कर दिया गया।

लोगों को जोड़ने और आजीविका के परिणाम

- डीएवाई-एनआरएलएम ने 10.03 करोड़ महिलाओं को 94 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया, जिन्हें ₹64,405.83 करोड़ की संचयी पूंजीकरण सहायता के माध्यम से समर्थन दिया गया।



- बैंक ऋण 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गए, जबकि गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ लगभग 1.85% पर बनी रहीं, जो अनुशासित सामूहिक वित्त को दर्शाती हैं।
- 5 करोड़ महिला किसान (Mahila Kisans) 2.20 लाख उत्पादक समूहों (Producer Groups) से जुड़ी हैं, जिनमें कुल 43 लाख सदस्य हैं। इसके अलावा 1,435 उत्पादक उद्यम 18.5 लाख सदस्यों को कवर करते हैं।
- स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम ने 4.28 लाख उद्यमों को सहायता प्रदान की तथा 14.89 लाख उद्यमियों को व्यक्तिगत उद्यमों के लिए ₹18,269 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ।
- 1.53 लाख बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखियाँ घर-घर जाकर वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती हैं, वहीं नौ लाख सामुदायिक संसाधन व्यक्ति कृषि, पशुधन और मत्स्य पालन में सहयोग करते हैं।
- बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर संस्थानों, वंचित महिलाओं को शामिल करने, उद्यमों के विस्तार, बाज़ार तक पहुँच और मज़बूत ऋण संबंधों की आवश्यकता है।

डिजिटल, वित्तीय और बाज़ार अवसंरचना

- लोकोस (LokOS) खंडित प्रबंधन सूचना प्रणालियों की जगह लेता है, जिससे बेहतर निगरानी, नीति नियोजन और विश्लेषण के लिए सामुदायिक डेटा का मानकीकरण होता है।
- चार लाख ई-बुक कीपर्स ने रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया इसके साथ आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और तेलंगाना ने राष्ट्रीय संसाधन संगठनों के रूप में कार्य किया।
- LokOS 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, 762 जिलों, 7,241 ब्लॉकों, 2.57 लाख पंचायतों और 5.92 लाख गाँवों तक फैला हुआ है, और 94.16 लाख स्वयं सहायता समूहों/10.03 करोड़ सदस्यों का डिजिटलीकरण कर रहा है।
- CIBIL स्कोर न होने की वजह से 'वीमेन एंटरप्राइज एक्सेलेरेशन फंड' का इस्तेमाल कम हो रहा है; इसी संदर्भ में ग्रामीण क्रेडिट स्कोर 2025-26 से ग्रामीण उधारकर्ताओं को लक्षित करेगा।
- बारह राष्ट्रीयकृत बैंक, चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और आईडीबीआई इसमें शामिल हुए तथा एसबीआई की स्वयं सिद्धा योजना उद्यम ऋण को सरल बनाती है।
- ई-सरस 237 स्वयं सहायता समूहों से 3,301 एसकेयू सूचीबद्ध हैं, जिनकी बिक्री ₹1.20 करोड़ से अधिक हो गई है; अमेजॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट, ओएनडीसी और एसएचई मार्ट्स पहुँच का विस्तार किया है।

अंतिम छोर तक समावेशन और संस्थागत सुदृढ़ीकरण

- आधुनिक क्लस्टर-स्तरीय संघ (MCLF) का कार्य 32,000 सीएलएफ में से 10,000 तक पहुँच चुका है, जिसमें 2031 तक 500 इमर्शन साइट्स की योजना बनाई गई है।
- छः एजेंसियाँ 81 मास्टर स्टेट रिसोर्स पर्सन और 2,600 स्टेट रिसोर्स पर्सन एमसीएलएफ का समर्थन करते हैं, जिसके लिए निरंतर क्षमता विस्तार की आवश्यकता होती है।
- विश्व बैंक के 2025 के निष्कर्षों ने समावेशी आजीविका योजना को प्रेरित किया, जिसमें क्रमिक विकास दृष्टिकोण के माध्यम से 1.50 लाख वंचित परिवारों को शामिल किया गया है।
- महिलाओं की श्रम भागीदारी 41% है जबकि पुरुषों की 76% है तथा इस लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए लैंगिक समानता के प्रतिनिधि, मंच और संसाधन केंद्र कार्यरत हैं।
- नई चेतना 4.0 कार्यक्रम 25 नवंबर से 23 दिसंबर, 2025 तक चला, जिसमें देशभर में 3,302 सहयोगी गतिविधियों के माध्यम से 12 मंत्रालयों को एक साथ लाया गया।
- 39 लाख सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से इसमें 14 करोड़ प्रतिभागियों और 6.8 लाख हितधारकों को शामिल किया गया तथा समन्वय और अभिसरण को समर्थन देने के लिए 6,000 से अधिक लैंगिक संसाधन केंद्र कार्यरत हैं।

निष्कर्ष

DAY-NRLM के अगले चरण के लिए मज़बूत मानव संसाधन, डेटा विश्लेषण, विपणन, मूल्य श्रृंखला और नवोन्मेषी निधियों की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर संस्थाएँ विकसित भारत@2047 में ग्रामीण महिलाओं को समान हितधारक बना सकती हैं।

7. पीएम-सेतु : युवा सशक्तीकरण और कौशल विकास

परिचय

'प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs' (PM-SETU) योजना के तहत, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स (ITIs) को ऐसे संस्थानों में बदला जा रहा है जो जरूरतों के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह हों तथा इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुरूप

काम करें। यह वोकेशनल सुधार को रोजगार क्षमता 'आत्मनिर्भर भारत' और ग्लोबल स्किल लीडरशिप के लिए एक रणनीतिक बुनियादी ढाँचा मानता है।



कौशल विकास का बदलता परिदृश्य

- क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स, 2027 में भारत 13वें स्थान पर है; इसका जनसांख्यिकीय लाभांश वैश्विक कमी को दूर कर सकता है।
- वर्ष 2014-2026 के बीच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 9,776 से बढ़कर 13,888 हो गई तथा सेक्टर कौशल परिषदों की संख्या 20 से बढ़कर 36 हो गई।
- जन शिक्षण संस्थानों की संख्या 234-294 हो गई, जबकि प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों का विस्तार शून्य से बढ़कर 500 से अधिक हो गया।
- वर्ष 2014 से प्रशिक्षुओं की संख्या 1.1 लाख से बढ़कर 56.08 लाख से अधिक हो गई; अल्पकालिक प्रशिक्षुओं की संख्या 14.84 लाख से बढ़कर 1.60 करोड़ हो गई, जिसे स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) द्वारा समर्थित किया गया।
- सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, एयरोस्पेस, रक्षा, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्री 4.0 जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक, उद्योग-अनुकूल दक्षताओं की आवश्यकता होती है।

पीएम-सेतु की संस्थागत संरचना

- पीएम-सेतु के तहत 200 हब और 800 स्पोक संस्थानों के साथ-साथ पाँच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से 1,000 सरकारी आईटीआई का उन्नयन किया जा रहा है।
- केंद्र सरकार, राज्य और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 60,000 करोड़ रुपये का पाँच वर्षीय आवंटन किया गया है, जिसमें केवल उपकरणों के आधुनिकीकरण की बजाय शासन सुधार को प्राथमिकता दी गई है।
- प्रत्येक हब-स्पोक क्लस्टर एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से संचालित होता है तथा एंकर उद्योग भागीदार के पास बहुमत हिस्सेदारी होती है और वह दैनिक संचालन का प्रबंधन करता है।
- केंद्र और राज्य सरकारें स्वामित्व, निगरानी और आरक्षित मामलों पर नियंत्रण बनाए रखती हैं, जिससे समान पहुँच और सार्वजनिक जवाबदेही की रक्षा होती है।
- उद्योग की भागीदारी से पाठ्यक्रम, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कामकाज तय होते हैं, जिससे हब-स्पोक प्रोग्राम क्षेत्रीय लेबर-मार्केट की जरूरतों के अनुकूल बनते हैं।
- सुधार की प्राथमिकताओं में बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण, अप्रेंटिसशिप, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों की क्षमता में सुधार, मूल्यांकन और मांग-आधारित पाठ्यक्रम शामिल हैं।

सीखने एवं रोजगार के परिणाम

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत हब आईटीआई को चार नए ट्रेड जोड़ने/दस ट्रेडों को अपग्रेड करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया है; स्पोक्स संस्थान भी इसी तरह उद्योग-संरेखित कार्यक्रमों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं।
- नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का मॉड्यूलर सिस्टम फ्लेक्सिबल क्रेडिट और जीवन भर सीखने की सुविधा देता है; अप्रेंटिसशिप और ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग सीखने की प्रक्रिया को क्लासरूम से आगे ले जाती है।
- ग्रेजुएट ट्रेसर स्टडीज रोजगार के नतीजों का आकलन करती हैं; इससे इंडस्ट्री को ट्रेंड टैलेंट मिलता है, भर्ती का खर्च कम होता है और ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स पर असर डालने का मौका मिलता है।
- संस्थागत तत्परता से रोजगार की क्षमता, प्रोडक्टिविटी और लोगों का भरोसा बढ़ता है, जिससे नागरिकों का सशक्तीकरण और 'विकसित भारत' का लक्ष्य आगे बढ़ता है।

निष्कर्ष

पीएम- सेतु आईटीआई को भविष्य के लिए तैयार संस्थानों में बदल सकता है, जिससे भारत के जनसांख्यिकीय लाभ को रोजगार क्षमता, उत्पादकता और वैश्विक कार्यबल नेतृत्व में परिवर्तित किया जा सकता है।

8. डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन नागरिक-केंद्रित परिवर्तन का वाहक

परिचय

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC), मीडिया लैब एशिया से विकसित होकर एक गैर-लाभकारी कार्यान्वयन भागीदार बन गया है। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) समाधान विकसित करता है जो शासन को पारदर्शी, समावेशी, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित बनाते हैं।



संस्थागत भूमिका और डिजिटल शिक्षा

- डीआईसी विभिन्न मंत्रालयों को डिजाइन, विकास, एकीकरण, होस्टिंग, संचालन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहायता प्रदान करता है, जबकि विभागों के पास नीतिगत स्वामित्व बना रहता है।
- एनसीईआरटी के सहयोग से, दीक्षा बहुभाषी संसाधन, डिजिटल पाठ्यपुस्तकें, शिक्षक प्रशिक्षण और इंटरैक्टिव सामग्री प्रदान करती है, जिससे समावेशी शिक्षा तक पहुँच का विस्तार होता है।
- अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत भंडारण एवं स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करता है।
- स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री आजीवन पहचान प्रदान करती है; हाइपरलेजर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के अनुपालन के तहत क्रेडेंशियल्स को सुरक्षित करता है।
- विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना डॉक्टरेट शोधार्थियों, पोस्ट-डॉक्टोरल फेलो और युवा संकाय अनुसंधान फेलो को सहायता प्रदान करता है, जिससे अनुसंधान क्षमता और आत्मनिर्भरता मज़बूत होती है।

आजीविका और सामाजिक सशक्तीकरण

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किसान सारथी कार्यक्रम ने 731 से अधिक केंद्रों, 3,200 से अधिक विशेषज्ञों और 85.84 करोड़ सलाहों का उपयोग करते हुए 295 लाख से अधिक किसानों तक अपनी पहुँच बनाई।
- LokOS स्वयं सहायता समूहों की आजीविका संबंधी गतिविधियों को डिजिटाइज करता है, संभावित लखपति दीदियों की पहचान करता है और महिलाओं की भागीदारी और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है।
- इंडिया हैंडमेड दूरस्थ कारीगरों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ता है, बिचौलियों को कम करता है, आजीविका का विस्तार करता है और शिल्प विरासत को संरक्षित करता है।
- पोषण ट्रैकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों की वास्तविक समय में निगरानी, बेहतर पोषण लक्ष्यीकरण और जवाबदेही को सक्षम बनाता है।
- राष्ट्रीय महिला आयोग की हेल्पलाइन शिकायतों/परामर्श में सहायता प्रदान करती है; MANAS, DIC प्लेटफार्मों के माध्यम से मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों की सुरक्षित रिपोर्टिंग को सक्षम बनाता है।
- MY Bharat 2.21 करोड़ युवाओं का पंजीकरण करता है, 28,000 कार्यक्रम और 1.52 लाख स्वयंसेवी अवसर प्रदान करता है; वंदे मातरम 150 नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देता है।

सुरक्षित एवं भविष्य के लिए तैयार शासन व्यवस्था

- डीआईसी के क्लाउड प्लेटफॉर्म सरकारी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करते हैं; भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ सहयोग से वास्तविक समय की निगरानी और डेटा-आधारित निर्णय संभव हो पाते हैं।
- डिजिटल ऑफिस प्लेटफॉर्म डीपीडीपी अधिनियम 2023 के तहत डेटा संरक्षण बोर्ड का समर्थन करता है, शिकायतों, सुनवाई और अनुपालन का सुरक्षित रूप से प्रबंधन करता है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्लाउड, ऑटोमेशन और विश्लेषण स्केलेबल समाधानों को बढ़ावा देते हैं; साइबर सुरक्षा, गोपनीयता, पहुँच और अंतरसंचालनीयता सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखती है।
- डीआईसी का गैर-लाभकारी मॉडल पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित जीवन की सुगमता को मज़बूत करते हुए मंत्री स्तरीय नीति नियंत्रण को बरकरार रखता है।

निष्कर्ष

डीआईसी विश्वसनीय डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत कर सकता है, नागरिकों के लिए अवसरों का विस्तार कर सकता है और उत्तरदायी शासन को विकसित भारत का आधार बना सकता है।

9. भविष्य को रोशन करना : भारत की ऊर्जा दक्षता क्रांति

परिचय

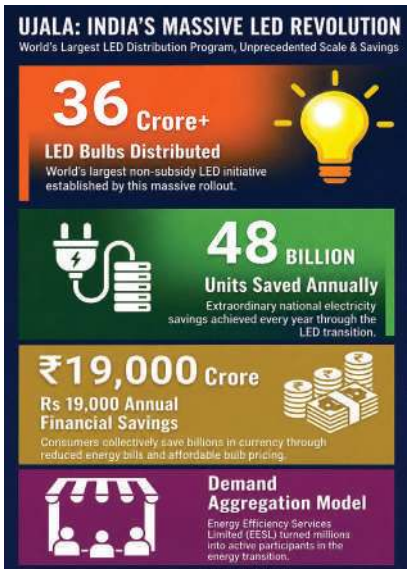

भारत का दक्षता अभियान बाज़ारों, मानकों और जनभागीदारी को एकीकृत करता है, जिससे बढ़ती ऊर्जा मांग और आर्थिक व जलवायु प्राथमिकताओं के बीच सामंजस्य बनता है।

रणनीतिक औचित्य और औद्योगिक परिवर्तन

- मेक इन इंडिया के तहत औद्योगीकरण, शहरीकरण, डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऊर्जा दक्षता को विकसित भारत 2047 के केंद्र में लाते हैं।
- ऊर्जा संरक्षण से उत्पादन में निवेश और आयात पर निर्भरता कम होती है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं को मज़बूती मिलती है।
- 2014 से, भारत की ऊर्जा तीव्रता (Energy Intensity) में काफी कमी आई है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा भारत के प्रदर्शन को विश्व के बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों में माना है।
- 'परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड' (PAT) योजना बाज़ार-आधारित प्रोत्साहनों के जरिए थर्मल पावर, सीमेंट, स्टील, एल्युमीनियम और उर्वरक क्षेत्रों को लक्षित करती है।
- PAT ने ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (ईएससीईआरटी) बनाए गए हैं, जिसके तहत 2024 तक कवर की गई इकाइयों की संख्या 478 से बढ़कर 1,300 से अधिक हो जाएगी।
- PAT के माध्यम से 23 मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट (MTOE) से अधिक ऊर्जा की बचत हुई और 110 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोका गया।

जन-केंद्रित कार्यक्रम और संरचनात्मक उपाय

- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) द्वारा संचालित अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल (उजाला) के उन्नत ज्योति अभियान के तहत 36 करोड़ से अधिक बल्ब वितरित किए गए।
- UJALA, दुनिया की सबसे बड़ी गैर-सब्सिडी वाली एलईडी पहल है जो मांग एकत्रीकरण के माध्यम से सालाना 48 अरब यूनिट बिजली और 19,000 करोड़ रुपए की बचत करती है।
- राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम के तहत 1.3 करोड़ से अधिक लाइटों को बदला गया, जिससे नौ अरब यूनिट बिजली, 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई और सुरक्षा में सुधार हुआ।
- 'ऊर्जा संरक्षण भवन कोड' को अब 'ऊर्जा संरक्षण एवं टिकाऊ भवन कोड' में बदल दिया गया है जिससे पूरे जीवनचक्र के दौरान 25-50% ऊर्जा की बचत संभव हो गई है।
- मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम 40 प्रकार के उपकरणों को कवर करता है, जो निर्माताओं और उपभोक्ताओं को कुशल उत्पादों की ओर निर्देशित करता है।
- ऊर्जा-कुशल कृषि पंप खेतों में बिजली की खपत को कम करते हैं; स्मार्ट मीटर उपयोगिता दक्षता में सुधार करते हैं और नुकसान को कम करते हैं।

समग्र प्रभाव और अगला चरण

- 2017 से लागू कॉर्पोरेट औसत ईंधन अर्थव्यवस्था (CAFE) मानदंडों ने यात्री कारों की ईंधन दक्षता में सुधार किया है।
- 'एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025' के अनुसार ऊर्जा बचत के रिकॉर्ड 3 MTOE (2014-15) से बढ़कर 65 MTOE (2024-25) हो गए हैं।
- भारत ने समय से पहले ही उत्सर्जन की तीव्रता में कमी लाने की अपनी पेरिस समझौते की प्रतिबद्धता को पूरा कर लिया है जिससे जलवायु कार्रवाई विकास के अनुरूप हो गई है।
- ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, दक्षता एवं उत्सर्जन में कमी के लिए बाज़ार में प्रोत्साहन पैदा करते हैं।

निष्कर्ष

ऊर्जा दक्षता भारत के एक साइलेंट 'आभासी विद्युत संयंत्र' के रूप में कार्य करती है जो वहनीयता, संसाधन सुरक्षा एवं विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को एक साथ लाती है।

10. डिजिटल युग में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना

परिचय

भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ने पहचान, भुगतान और कल्याणकारी वितरण का विस्तार किया है; इसके अगले चरण में समावेशन, गोपनीयता एवं विश्वास सुनिश्चित करना आवश्यक है।

डिजिटल आर्किटेक्चर और कल्याणकारी लाभ

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक अरब निवासियों को बायोमेट्रिक्स और ओटीपी के माध्यम से आधार-आधारित सत्यापन की सुविधा प्रदान की।

- इंडिया स्टैक, डिजिलॉकर, इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर (ई-केवाईसी) और सहमति-आधारित साझाकरण को एकीकृत करता है, जिससे कागज रहित शासन संभव हो पाता है।
- रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने डिजिटल भुगतान को आधुनिक बना दिया है।
- 10 से अधिक देश यूपीआई को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ई-रुपए और परिसंपत्ति टोकनाइजेशन का पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है।
- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) निधियों पर नज़र रखती है; जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) वितरण को सक्षम बनाता है।
- डीबीटी पेंशन, छात्रवृत्ति, सब्सिडी और रोजगार-गारंटी वेतन को सीधे वितरित करता है, जिससे मध्यस्थों द्वारा संचालित रिसाव कम हो जाता है।



बहिष्कार और उभरती कमजोरियाँ

- सामान्य सेवा केंद्र (CSCs) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत गाँवों में आधार और बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाए।
- जामतारा, नूह एवं भरतपुर इलाके फिशिंग, जबरन वसूली, फर्जी ग्राहक सेवा व भुगतान धोखाधड़ी जैसे साइबर अपराधों के केंद्र बन गए।
- डिजिटल-अरेस्ट धोखाधड़ी करने वाले वीडियो कॉल के माध्यम से पुलिसकर्मी बनकर पीड़ितों को अपनी जीवन भर की बचत वेरिफिकेशन अकाउंट में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करते हैं।
- फीचर फोन उपयोगकर्ता जो असंरचित पूरक सेवा डेटा (USSD) पर निर्भर हैं, गैर-उपयोगकर्ता और डिजिटल रूप से निरक्षर नागरिक मध्यस्थों पर निर्भर रहते हैं।
- ओटीपी, आधार या बैंकिंग एप्लीकेशन को किसी तीसरे पक्ष (थर्ड-पार्टी) द्वारा प्रबंधन करने से मदद लेने वाले उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता उल्लंघन और उनके लाभ की चोरी का खतरा बढ़ जाता है।

एक सुरक्षात्मक डिजिटल राज्य का निर्माण

- केवल डिजिटल शिकायत निवारण चैनल आधार प्रमाणीकरण में विफलता, बाउंस हुए डीबीटी और धोखाधड़ी वाले डेबिट जैसी समस्याओं को अधिक बढ़ा देते हैं; जन धन खाते अवैध खातों में तब्दील हो जाते हैं।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के नियम औपचारिक रूप से 2025 के अंत में अधिसूचित किए गए थे; लेकिन प्रभावी प्रवर्तन अभी भी अधूरा है।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और क्षेत्रीय नियमों के तहत साइबर सुरक्षा अभी भी खंडित है; वसूली तो होती है किंतु दोषसिद्धि दर 5% से कम है।
- भारत में साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) और सभी राज्यों के साइबर ब्यूरो मौजूद हैं, लेकिन जाँच क्षमता में असमानता बनी हुई है।
- सीएससी, बैंकिंग संवाददाता और शाखा कर्मचारियों को स्थायी मानव-सहायता प्राप्त चैनलों के रूप में जवाबदेही, ऑडिट ट्रेल और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
- वास्तविक समय की निगरानी, कूलिंग पीरियड्स और तेजी से फ्रीज करना विश्वसनीय सामुदायिक चैनलों के माध्यम से स्थानीय भाषा में डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का पूरक होना चाहिए।

निष्कर्ष

डिजिटल समावेशन को जवाबदेह संस्थानों, कानूनों, साक्षरता और विश्वसनीय मध्यस्थों द्वारा समर्थित सुरक्षित, स्वतंत्र पहुँच सुनिश्चित करनी चाहिए।